न्यायमूर्तिगण एम.एम. कुमार और टी. पी. एस. मान के समक्ष.

भारत संघ व अन्य, - अपीलकर्ता

बनाम

पूर्व रेक्ट सुखजिंदर सिंह - प्रतिवादी

2011 का अल. पी. ए. नंबर 87
2009 के सी. डबल्यू. पी. नंबर 17474 में

9 मार्च 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 226-एकल न्यायाधीश ने विकलांगता पेंशन की अनुमति देते हुए बकाया राशि के भुगतान को याचिका दायर करने की पिछली तारीख से 3 साल तक सीमित कर दिया-भारत संघ ने अपील में झूठी दलील दी कि मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार याचिकाकर्ता की विकलांगता के लिए न तो सैन्य सेवा जिम्मेदार है और न ही सैन्य सेवा से उसके कष्ट में वृद्धि हुई है - तथ्यों की गलत बयानी - न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग - अपील, ***50,000*** रुपये की लागत के साथ खारिज कर दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया कि, एक आम नागरिक द्वारा रिट याचिका दायर करने के मामले में, चिरंजीत लाल व अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा व अन्य, **1978** पीएलआर 582 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना है कि जब कोई दुर्भावनापूर्ण और सुविचारित दमन हुआ हो ऐसे भौतिक तथ्य जिनके प्रकट होने पर ऐसी पार्टी रिट क्षेत्राधिकार के तहत असाधारण उपचार के हकदार नहीं रह जाती या किसी भी मामले में अंतरिम और साथ ही दावा की गई अंतिम राहत के गुणों को भौतिक रूप से प्रभावित करती, तो ऐसी पार्टी अपने आचरण से उस राहत का अधिकार जिसका वे दावा करना चाहते हैं उसे रद्द कर देती है। जब इस तरह का आचरण केंद्रीय निकाय और उसके अधिकारियों द्वारा अपनाया जाता है, जैसा कि अपील के ज्ञापन के आधार संख्या 7 से स्पष्ट है, तो यह और भी गंभीर हो जाता है। सार्वजनिक प्राधिकरण हमेशा रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद याचिका दायर करता है। हालाँकि, वर्तमान अपील में वह सब पूरी तरह से भुला दिया गया है। इसलिए अपील भारी जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

(पैरा 6)

**5.5** संधू, अपीलकर्ताओं के लिए केंद्र सरकार के स्थायी वकील।

**5.6** सहगल, प्रतिवादी के वकील।

3561 L.R- PUNJAB AND HARYANA2011(2)

न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार,

(1) हस्तगत अपील भारत संघ और उसके अधिकारियों द्वारा लेटर्स पेटेंट के खंड X में विद्वान एकल न्यायाधीश के फ़ैसले दिनांकित 13 नवम्बर 2009 जिसमे यह अभिनिर्धारित किया गया कि मामला डिवीज़न बैंच द्वारा 2007 के सीडब्ल्यूपी संख्या 10451 में फैसले दिनांकित 27 मार्च, 2008 से रिट याचिकाकर्ता-रिस्पांडेंट के पक्ष में है, के विरुद्ध दायर की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच के फैसले के प्रासंगिक हिस्से से यह निष्कर्ष निकाला है कि 3 फरवरी, 2000 को जारी पत्र के मद्देनजर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा विकलांगता पेंशन का प्रतिशत 50% से कम होने पर विकलांगता का प्रतिशत 50% आंका जाना है। उपरोक्त टिप्पणी के संदर्भ में यह था कि याचिका दायर करने की तारीख से तीन साल पहले तक बकाया भुगतान को प्रतिबंधित करके विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा याचिका का निपटारा कर दिया गया है।

(2) जब मामला 21 जनवरी 2011 को सुनवाई के लिए आया तो हमने अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए निम्नलिखित तर्कों पर ध्यान दिया और फिर प्रस्ताव का नोटिस जारी किया। आदेश दिनांक 21 जनवरी 2011 नीचे दिया गया है जो इस प्रकार है:-

"अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने अपील के आधारों के ग्राउंड नंबर 7 पर निर्भरता रखते हुए तर्क दिया है कि मेडिकल बोर्ड

> ने यह राय व्यक्त की है कि रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा झेली गई विकलांगता न तो सैन्य सेवाओं के कारण थी और न ही उस कारण सेबढ़ी थी क्योंकि यह संवैधानिक अव्यवस्था के कारण थी जिसका सैन्य सेवाओं से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम सुरिंदर सिंह राठौड़ (सिविल अपील संख्या 1960 ऑफ 2008, 13 मार्च, 2008 को निर्णय लिया गया) के मामले में निष्कर्ष निकाला है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई राय सही नहीं है। उचित महत्व दिए जाने के लिए, अधिकारियों/अदालतों द्वारा इसे अनदेखा या प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

23 फ़रवरी 2011 के लिए प्रस्ताव की सूचना

(3) उस स्तर पर, हमने विद्वान स्थायी वकील से मेडिकल बोर्ड की राय की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने इसका ज़ाहिर किया

कि उस दिन उसके पास उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, उन्होंने मूल मेडिकल बोर्ड कार्यवाही अमान्य/निम्न चिकित्सा श्रेणी केवल/ न केवल मेडिकल आधार पर जारी नहीं की है। कॉलम 13 में निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया है: "क्या आप मानते हैं कि विकलांगता सेवा के कारण है? (कारण दे)। 'उत्तर दिया गया है

"हां। तनाव और शारीरिक प्रशिक्षण के कारण।"

(4) अब हमारे सामने पेश किए गए उपरोक्त रिकॉर्ड से पता चलता है कि सुनवाई की पहली तारीख को प्रस्ताव की सूचना प्राप्त करते समय, बेंच से तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाया गया और यहां तक कि गलत बयानी भी की गई। ग्राउंड नंबर 7 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ लगाई गई झूठी दलील को और मजबूत करता है और इसे यहां नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

> 'प्रतिवादी का अमान्य मेडिकल बोर्ड 21 दिसंबर को सैन्य अस्पताल किर्कसीसी में किया गया था। 2004, इस अमान्य मेडिकल बोर्ड को सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण, आईसी डीडीएमएस मुख्यालय एमजी और जी एरिया मुंबई द्वारा 27 दिसंबर, 2004 को अनुमोदित किया गया था। अमान्य मेडिकल बोर्ड ने फॉर्म नंबर एएफएमएसएफ-16 (वीसीआर2002) आईसी मैनिक एपिसोड एफ पर उनकी विकलांगता पर राय दी थी। -30 सैन्य सेवाओं से संबंधित न तो सेवा और संवैधानिक अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और न ही इससे बढ़ी है।"

(5) रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री भीम सेन सहगल ने आगे बताया है कि कैसकोफयूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम पूर्व में। एनके सरबजीत सिंह (2010 के एलपीए नंबर 748 पर 9 जुलाई, 2010 को निर्णय लिया गया) इसी तरह का प्रश्न उठा था और 2007 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10451 में दिए गए इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए 27 मार्च को निर्णय लिया गया था। 2008, भारत संघ द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी गई।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हम अपीलकर्ता और उसके अधिकारियों के आचरण से आश्चर्यचकित हैं। सचिव के माध्यम से तत्काल अपील दायर की गई है। भारत सरकार। रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक। नई दिल्ली; थल सेनाध्यक्ष, सेना मुख्यालय। नई दिल्ली; प्रधान रक्षा नियंत्रक

लेखा (पेंशन), द्रौपती घाट, अल्लाहबाद (यूपी) और कुछ अन्य अधिकारी। अपील के ग्राउंड नंबर 7 के अवलोकन से पता चलता है कि एक झूठी याचिका दायर की गई है जो कि रिकॉर्ड के खिलाफ है। मेडिकल बोर्ड की मूल कार्यवाही के पैरा 13 में, यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि 'मैनिक' एपिसोड F30' की बीमारी सैन्य सेवा से बढ़ गई है, जबकि मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही को अपील के आधार के पैरा 7 में गलत तरीके से उद्धृत किया गया है। बता दें कि मेडिकल बोर्ड की राय थी कि 'मैनिक' एपिसोड एफ 30 बीमारी सैन्य सेवा से नहीं बढ़ती है। न्यायसंगत क्षेत्राधिकार पर लागू कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाया जाता है या 'गलत बयानी' की जाती है तो अपील सुनने का इच्छुक पक्ष इससे वंचित हो जाता है। इस तरह के आचरण की न्यायालयों द्वारा बार-बार निंदा की गई है। एक निजी नागरिक द्वारा रिट याचिका दायर करने के मामले में, चिरंजी लाल और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना है कि जब भौतिक तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से दमन किया गया हो। खुलासा करने से ऐसी पार्टी रिट क्षेत्राधिकार के तहत असाधारण उपाय से वंचित हो जाएगी या किसी भी मामले में अंतरिम और साथ ही दावा की गई अंतिम राहत के गुणों को भौतिक रूप से प्रभावित करेगी, तो ऐसी पार्टी अपने आचरण से राहत के अधिकार को खो देगी जो उन्होंने दी थी। दावा करना चाहते हैं. जब केंद्रीय निकाय और उसके अधिकारियों द्वारा ऐसा आचरण अपनाया जाता है, जैसा कि अपील के ज्ञापन के आधार संख्या 7 से स्पष्ट है, तो यह और भी गंभीरता को ले लेता है। सार्वजनिक प्राधिकरण हमेशा रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद याचिका दायर करता है। हालाँकि, वर्तमान अपील में वह सब पूरी तरह से भुला दिया गया है। इसलिए अपील भारी जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

(7) मामले का एक और पहलू है क्योंकि तत्काल अपील भारत संघ व उसके अधिकारियों के इशारे पर शुरू की गई झूठी मुकदमेबाजी का एक उदाहरण है। अपीलकर्ता-भारत संघ ने राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति तैयार की है जिसे (2010) 6 एससीसी जे -17 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अपीलकर्ताओं द्वारा उपरोक्त नीति की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पैराग्राफ VI में, अपील दायर करने के मुद्दे से निपटा गया है। मद डी के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

"VI. अपील दाखिल करना

(ए) से (सी) XXXX

(डी) सेवा मामलों में, ऐसे मामलों में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जहां:

(a) मामला बिना किसी बड़े प्रभाव के एक व्यक्तिगत शिकायत से संबंधित है;

(b) <u>यह मामला बिना किसी सिद्धांत को शामिल किए और बिना किसी मिसाल या वित्तीय निहितार्थ स्थापित किए पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ के मामले से संबंधित है"</u> (जोर जोड़ा गया)

यह स्पष्ट है कि उन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की जाएगी जहां मामला पेंशन या सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है, बशर्ते इसमें कोई सिद्धांत या वित्तीय निहितार्थ शामिल न हो। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आक्षेपित निर्णय एक डिवीजन बेंच के फैसले (सुप्रा) पर आधारित था। इस प्रकार, पेंशन के विकलांगता तत्व की गणना से संबंधित मुद्दों के संबंध में मामला पहले ही तय हो जाने के बाद अपीलकर्ताओं के लिए इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करना पूरी तरह से अनुचित है। यदि विकलांगता 50% से कम है तो विकलांगता के तत्व को 50% तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि यह 20% से अधिक हो। तदनुसार, हमने पाया कि अपील तुच्छ है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(8) उपरोक्त के मद्देनजर, अपील 50,000 रुपये की लागत के साथ खारिज की जाती है। भारतीय संघ द्वारा रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी को लागत का भुगतान किया जाएगा, लेकिन इसे उस अधिकारी या अधिकारियों से वसूल किया जाएगा, जिन्होंने जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए गलत आधार की दलील दी है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरूग्राम, हरियाणा

आरएनआर

358LL.R. PUNJAB AND HARYANA2011(2)

**379/एचसी आईएलआर-सरकार। प्रेस, यूटी, सीडी.**